ायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 114/2024 राजस्व वाद

01. गोरधन लाल पुत्र श्री नैना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा, बजाडो का बाडिया तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भीमराज पुत्र श्री रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– पीपली का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादीगण

बनाम

01. कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गोपाल सिंह पुत्र श्री गंगादान चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बृजराज सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मीना कंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. सनु कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा –अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय– – प्र.सं. 1 से 8
3. पेरोकार सरकार ––प्रति.सं. 9

:: निर्णय :: दिनांक– 07/10/2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

कपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध स्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को हराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया या, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तएवः

आदेश

रहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा ाज0) मे आराजी नम्बर 1507 पन्द्रह सौ सात रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1508 रकबा 0.0379 क्टयर, आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1510 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी म्बर 1511 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1512 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1513 रकबा .4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1514 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1558 रकबा 0.7841 हैक्टयर, ाराजी नम्बर 1559 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1600 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 398/1592 रकबा 0.1795 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2399/1592 रकबा 0.2751 हैक्टयर, आराजी नम्बर 401/1599 रकबा 0.3990 हैक्टयर, आराजी नम्बर 404 रकबा 2.7316 हैक्टयर, आराजी नम्बर 430 रकबा .6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 431 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 432 रकबा 0.5817 हैक्टयर, ाराजी नम्बर 521 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 522 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 523 कबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 524 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 525 रकबा 0.2909 क्टयर, आराजी नम्बर 526 रकबा 0.4553 हैक्टयर कुल किता 24 रकबा 8.1759 हैक्टयर है मे वादीगण एंव तिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल रामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1) खातेदार का नाम- गोरधन लाल पुत्र श्री नैना हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. बजाडो का बाडिया, ीमराज पुत्र श्री रामा हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. पीपली का बाडिया (वादीगण) के नाम पर :-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	521	0.1518
2.	523	**0.1518**
3.	526	0.4553
4.	1507	0.0632
योग	किता 04	0.8221 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम- गोपाल सिह पुत्र श्री गंगादान जाति चारण सा. देह खातेदार (प्रतिवादी) के नाम -

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	430	0.6070
2.	431	**0.1012**
3.	432	0.5817
4.	1558	0.7633
5.	1559	0.2023
6.	1508	0.0379
7.	1509	0.1518

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

8.	1510	0.0632
9.	1511	0.0379
10	1512	0.0253
11.	1513	0.4300
12	1514	0.0759
13	522	0.2023
14.	525	0.2909
योग	कुल किता 14	रकबा 3.5707 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– गोरधन लाल पुत्र श्री नैना हिस्सा 5/18 जाति गुर्जर सा. बजाड़ो का बाडिया, मराज पुत्र श्री रामा हि 5/18 जाति गुर्जर सा. पीपली का बाडिया, गोपाल सिंह पुत्र गंगादान हिस्सा /9 सा. देह खातेदार–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	524	0.1518 हैटयर
योग	कुल किता 01	रकबा 0.1518 हैक्टयर

नोट– वर्तमान खाता संख्या 294 व 48 पूर्व मे एक ही खाता संख्या 48 सभी वादी व प्रतिवादीयो के शामलाती दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादी गोपाल सिंह का समपूर्ण हिस्सा खाता संख्या 48 किता 7 रकबा 2.7317 हैक्टयर मे प्रकिरण सख्या 115/2024 प्रा.डिक्री से शून्य रहे से उक्त प्र.सं. 114/2024 मे हिस्सा उतना ही बेशी रहेगा।

4) खातेदार का नाम– प्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 4/7, मीना कंवर पत्नी प्रताप सिंह हिस्सा /7, नाबालिग कुलदीप सिंह , पृथ्वी सिंह, बृजराजसिंह पिता रघुवीर सिंह हिस्सा 6/35 सभी नाबालिग सरपरस्त संरक्षक माता रामकंवर, सनुकंवर पुत्री रघुवीर सिंह हि. 2/35 , रामकंवर पत्नी रघुवीर सिंह 2/35 जातियान चारण सा. देह खातेदार के नाम पर :–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	1558/1	0.0208
2.	1600	**0.0253**
3.	2398/1592	0.1795
4.	2399/1592	0.2751
5.	2401/1599	0.3990
6.	404	2.7316
योग	कुल किता 06	3.6313 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। यह निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी प्रदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा